न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० अपील नं० 06/2017 शिवराज सिंह बनाम योगेश ...

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.5.18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15-06-18 को पेश हो। साबिकानुसार आना पाबन्द रहेगी। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
15.6.18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान पूर्ववत उपस्थित। अपील अपीलार्थी विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्याः 06/2017

1. शिवराज सिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (मृतक)।
   1/1 श्री भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   1/2 श्रीमती मंजू कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्री स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम स्यार, तहसील–सरवाड़, जिला–अजमेर।
   1/3 श्रीमती राजेश कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह पुत्री स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम गुलगॉव, वाया लाम्बा हरिसिंह, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान)।
   1/4 श्री सत्यदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी –ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   1/5 श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री गणपतसिंह पुत्री स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम उमरच, पोस्ट रामगंज बालाजी, तहसील व जिला बूंदी (राजस्थान)।
   1/6 श्रीमती हंसा कंवर पत्नी श्री औंकार सिंह पुत्री स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम देवरिया, पोस्ट बोराड़ा, तहसील–सरवाड़, जिला–अजमेर।
   1/7 श्रीमती छैल कंवर पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. योगेश कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति–रैगर, निवासी–1093, किसान मार्ग, टोंक फाटक, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. हनुमानसिंह पुत्र श्री धन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. भंवरसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. गोरधनसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
6. संग्रामसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
7. दशरथसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
8. बदरीसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम हथेली, तहसील –फागी, जिला–जयपुर।

9. रामकिशन पुत्र श्री भूरा, जाति–जाट, निवासी–ढाणी नथमलपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
10. भगवान पुत्र श्री भूरा, जाति–जाट, निवासी–ढाणी नथमलपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
11. श्योजी पुत्र श्री कल्याण, जाति–जाट, निवासी–ढाणी नथमलपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
12. रामसहाय पुत्र श्री कल्याण, जाति–जाट, निवासी–ढाणी नथमलपुरा, तहसील –फागी, जिला–जयपुर।
13. उप–तहसीलदार, माधोराजपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू0अ0/14/893 दिनांक 14.08.2014 उप–तहसीलदार, माधोराजपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।)

उपस्थितः–

1. श्री बनवारीलाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री भगवानसहाय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या0 1 की ओर से।
3. श्री इकबाल समद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 2,4 लगायत 8 की ओर से।
4. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 की ओर से।
5. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक ।
6. रेस्पोडेन्ट् सं0 3 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.06.2018**

उप तहसीलदार, माधोराजपुरा, तहसील–फागी ने ग्राम हथेली की आराजी खसरा नम्बर 473/3 रकबा 9 बीधा 12 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 473/4 रकबा 9 बीधा 11 बिस्वा की तरमीम करने के पटवारी हल्का हथेली को जरिये क्रमांक भू.अ./14/893 दिनांक 14.08.2014 आदेश दिये है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत तलब की गई। रेस्पोडेन्ट् सं0 3 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री बनवारीलाल शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने में कानूनी

एवं तथ्यात्मक गंभीर त्रुटि की है। अपीलाधीन आज्ञा कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही, एवं सह–खातेदार अपीलान्ट् को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई साक्ष्य का बिना नोटिस/अवसर दिये मनमाने तौर पर एकतरफा पारित की गई है जो विधि के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम के मामले में नियमानुसार अपेक्षित जांच प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही अधिकार क्षेत्र से बाहर केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश किया गया है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने अपनी फर्द मौका में खातेदारान् का कब्जा–काश्त मौके के अनुसार नहीं बताकर सर्वथा गलत तरीके से बताया है। मौके पर कोई जांच नही की गई और न ही मौके के अनुसार पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है। पूर्व खातेदार सरजू देवी व भूमाफिया के प्रलोभन में आकर झूठी मौका रिपोर्ट की है जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर नही है। मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने यह भी गलत अंकित किया है कि यदि खसरा नम्बरों का नक्शे में तरमीम किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज नही है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मूल खसरा नम्बर 473 के बट्टा नम्बरों के खातेदारो व पडौसी खातेदारो को कोई आपत्ति नही है। आराजी खसरा नम्बर 473/1, 473/2, 473/4, 473/4 के मूल खसरा नम्बर 473 है और खसरा नम्बर 473 अपीलान्ट् की पैतृक खातेदारी आराजी है जिस पर अपीलान्ट् के पिता अपने जीवनकाल में काबिज–काश्त रहे और तत्पश्चात् अपीलान्ट् का अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। मूल खसरा नम्बर 473 के नक्शा लठ्ठा में ऐसी कोई तरमीम नही की गई है। मूल खसरा नम्बर 473 की प्राप्त नकल में चिन्हित ए,बी,सी,डी स्थान पर अपीलान्ट् अपने पिता के जीवनकाल से निरन्तर काबिज–काश्त चला आ रहा है और इसी हिस्से को उपजाउ विकसित करने में लाखो रूपये व्यय किये है। अपीलान्ट् के कब्जा–काश्त की आराजी को रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 473/4 होना बता रहा है जो सर्वथा गलत एवं मौके की स्थिति के विपरित है। अपीलान्ट् के कब्जाशुदा आराजी को किसी भी हालत में नक्शा लठ्ठा में खसरा नम्बर 473/4 चिन्हित नही किया जा सकता है। अपीलान्ट् की कब्जाशुदा आराजी को आराजी खसरा नम्बर 473/1 का भाग ही माना जा सकता है। अपीलान्ट् ने अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि के चारो ओर सीमा/हदूद कायम कर रखी है। आराजी खसरा नम्बर 473/3 व 473/4 की पूर्व खातेदार सरजू देवी पत्नी हनुमान, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम कलवाडा ने

उप तहसीलदार, माधोराजपुरा के समक्ष नक्शे में तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर आज्ञा दिनांक 14.08.2014 पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट् द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी में दावा उनवानी भंवरसिंह वगैराह बनाम गोरधनसिंह वगैराह बाबत् धोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा दायर किया हुआ है। इस वाद में पक्षकारान् के मध्य मौजूदा विवाद का निस्तारण होना है। यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट् नम्बर 1 मौका व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने में सफल हो गये तो वाद के निर्णय पर विपरित प्रभाव पड़ेगा और पक्षकारान् के मध्य वाद बहुलता होकर अनेको मुकदमे हो जायेंगे। न्यायालय द्वारा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आज्ञा पारित की हुई है। अपीलाधीन आज्ञा की अपीलान्ट् को कोई जानकारी नही थी परन्तु दिनांक 08.03.2017 को जब अपीलान्ट् अपनी कब्जा–काश्त की आराजी में अपनी तारामीरा की फसल कटाई कर रहा था तो रेस्पोडेन्ट् नम्बर 1 ने मौके पर आकर अपीलान्ट् को एलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को नक्शे में तरमीम करवाने के आदेश दिनांक 14.08.2014 को करवा लिये है और आप जिस हिस्से पर फसल कटाई कर रहे है वह हिस्सा नक्शे में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की एलानियां धमकी पर अपीलान्ट् ने उप तहसील में आकर जानकारी की तो अपीलाधीन आज्ञा की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील–अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा क्रमांक भू.अ./14/893 दिनांक 14.08.2014 निरस्त फरमाई जावे व राजस्व रिकार्ड, नक्शा लठ्ठा की पूर्व स्थिति बहाल रखने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवानसहाय शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार श्रीमती सरजू देवी पत्नी श्री हनुमान, जाति–बलाई, निवासी–कलवाडा ने अपनी खातेदारी कब्जा–काश्त की आराजी खसरा नम्बर 473/3 रकबा 9 बीधा 12 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 473/4 रकबा 9 बीधा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 19 बिस्वा 3 बिस्वा की तरमीम नक्शा शीट में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

है जिस पर मौका एवं रिकार्ड की जांच रिपोर्ट ली गई है। पटवारी हल्का ने दिनांक 07.08.2014 को वादग्रस्त आराजी की नक्शे में तरमीम बाबत् मौके पर जाकर मौके की जांच की है। पड़ौसी काश्तकारान् ने वादग्रस्त आराजी पर खातेदार सरजू देवी पत्नी हनुमान, जाति–बलाई, निवासी–कलवाडा का कब्जा–काश्त होना जाहिर किया है। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2014 में यहां तक अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 473/1/2/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा रूपनारायण पुत्र चौथूराम, जाति–हरिजन एवं खसरा नम्बर 473/1/2/2 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा गुल्ला पुत्र लादू, जाति–हरिजन के नाम आवंटित हुई थी और आवंटन के समय से ही नामान्तरकरणों की पुश्त पर नक्शा अंकित है एवं उसी के अनुरूप मौके पर काबिज थे। वर्तमान में इन खसरा नम्बरों पर सरजू देवी पत्नी हनुमान, जाति–बलाई का नाम दर्ज है और इसी खातेदार का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की खातेदारी कब्जा–काश्त आराजी से अपीलान्ट्स का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। आवंटी रूपनारायण एवं गुल्ला के हक में दिनांक 03.01.1982 को स्वीकार किये गये नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार आवंटी का कब्जा रहा है। इसी आधार पर आवंटी को खातेदारी प्राप्त हुई है। आवंटन अथवा खातेदारी को किसी के द्वारा चुनौती दी जाकर निरस्त नही कराया गया है और खातेदारी दिये जाने के पश्चात् विक्रय के फलस्वरूप ही वर्तमान क्रेता खातेदार का कब्जा–काश्त है। अपीलान्ट् का यह कथन कतई सरासर गलत है कि उसे अपीलाधीन आज्ञा की पूर्व में जानकारी नही थी बल्कि सही तथ्य यह है कि वादग्रस्त आराजी के सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार, माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक भू.अ./15/985 दिनांक 27.10.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.06.2016 को सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचने पर मौके पर शिवराजसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत के पुत्र भंवरसिंह वगैराह ने मौके पर जरीब चलाने से मना किया है और मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से भी मना किया है जिसका मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अतः अपील–अपीलान्ट् विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विद्वान् अभिभाषक श्री रामधन चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 14.08.2014 विधि–विधान एवं पत्रावली पर तथ्यों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है और अपीलाधीन आज्ञा की अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही जानकारी थी। वादग्रस्त

आराजी की खातेदार सरजू देवी ने रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के हक में बेचान किया है और राजस्व अभिलेख में क्रेता रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का नाम दर्ज है। क्रेता रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का को सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये गये है। आदेशो की पालना में पटवारी हल्का मौके पर दिनांक 10.06.2016 को सीमाज्ञान हेतु उपस्थित हुआ है। मौके पर अपीलान्ट्स उपस्थित रहे है और मौके पर सीमाज्ञान कराये जाने से एवं हस्ताक्षर करने से मना किया है। इस तथ्य का पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है। इस प्रकार अपील जानबूझकर अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब क्षम्य योग्य न होने से अपील मियाद बाहर पेश होने से खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट् की कब्जाशुदा भूमि पर तरमीम करवाई होती तो निश्चित रूप से वह अपीलान्ट् की भूमि पर ही जरीब डलवाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता, इसलिए अपीलान्ट् का यह कथन सरासर झूठा है कि दिनांक 08.03.2017 को रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा तरमीम बाबत् धमकी देने के बाद नकल निकलवाने पर दिनांक 14.03.2017 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलान्ट् द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित तरमीम के आदेश दिनांक 14.08.2014 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में विवाद को उठाया गया है, परन्तु अपीलान्ट् द्वारा अपील में रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध भूमि के कब्जे या राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में किसी भी तरह का विवाद नही उठाया गया हैं और न ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई रिलिफ ही चाही गई है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 11 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 473/2 पर बिना विवाद के काबिज–काश्त करता चला आ रहा है एवं इसी तरह रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 खसरा नम्बर 473/1 में अपने–अपने हिस्से पर बिना किसी विवाद के कब्जा–काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध कोई विवाद नहीं होने एवं ना ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध कोई रिलीफ चाहने के कारण, अपीलान्ट् ने गलत पक्षकार बनाया गया है और अपील में गलत पक्षकार बनाने के कारण अपील रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विद्वान् अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट् द्वारा भंवरसिंह वगैराह बनाम गोरधनसिंह वगैराह उनवानी मुकदमा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी में दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत किया गया है। इस मुकदमें में अपीलान्ट् ने रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध कोई विवाद नही उठाया है और ना ही पक्षकार बनाया है। इसके बावजूद भी आराजी खसरा नम्बर 473/1 के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट् संख्या 9 लगायत 12 के हिस्से की भूमि पर भी यथास्थिति का अंकन दर्ज करवा दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी में प्रस्तुत किये गये दावे में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 9 लगायत 12 पक्षकार ही नही है और ना ही इस वाद में तरमीम से संबधित कोई विवाद हैं। इस दावे में तो अपीलान्ट् ने राजस्व रिकार्ड में पर्चा सेटलमेन्ट से ही कल्याणसिंह पुत्र बालसिंह नाम के गलत व्यक्तियों के नाम भूमि का इन्द्राज होने को चुनौती दी है। अतः अपील–अपीलान्ट् गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार द्वारा नक्शा शीट में तरमीम करने हेतु आवेदन किये जाने पर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजी के आवंटियों के नाम स्वीकार किये गये नामान्तरकरणों की पुश्त पर नक्शा अंकित होना पाया है एवं उसी अनुरूप मौके पर खातेदार का कब्जा–काश्त है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार, नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्ज अंकित नक्शा के अनुसार खातेदार को काबिज –काश्त होने से गुणावगुण के आधार न्याय–सम्मत् निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील–अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 473/1/2/1 रकबा 9 बीधा 12 बिस्वा का दिनांक 28.09.1981 को रूपनारायण पुत्र चौथूराम, जाति–हरिजन को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप आवंटी के हक में गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 345 भरा जाकर दिनांक 03.01.1983 को तहसीलदार, फागी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस नामान्तरकरण संख्या 345 की पुश्त पर गैर–खातेदार रूपनारायण की आराजी का नजरी नक्शा ट्रेस अंकित है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 473/1/2/2 रकबा 9 बीधा 11 बिस्वा का दिनांक 28.09.1981 को गुल्ला पुत्र लादू, जाति–हरिजन को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप आंवटी के हक में गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 346 भरा जाकर दिनांक 03.01.1983 को

तहसीलदार, फागी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस नामान्तरकरण संख्या 346 की पुश्त पर गैर–खातेदार गुल्ला की आराजी का नजरी नक्शा ट्रेस अंकित है। नामान्तरकरणों की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा ट्रेस ग्राम हथेली से यह जाहिर होता है कि पुश्त पर अंकित आराजी आवंटी को आवंटन के फलस्वरूप सुपुर्द की गई है और वरवक्त गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक होने इस आराजी पर आंवटी काबिज है। आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने एवं आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा होने के फलस्वरूप आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अर्थात् आवंटियों का आवंटित आराजी पर कब्जा न होने के तथ्य को लेकर कभी किसी द्वारा चुनौती दी जाकर आवंटन को खारिज नही कराया गया है। आवंटी खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। वादग्रस्त आराजी की खातेदार सरजू देवी ने नक्शे में तरमीम नही होने के कारण नक्शा शीट में तरमीम किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर तहसीलदार द्वारा मौके एवं रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक 04.08.2014 को आज्ञा पारित की है। इस आज्ञा दिनांक 04.08.2014 की पालना में दिनांक 07.08.2014 को पटवारी हल्का ने मौके एवं रिकार्ड की रिपोर्ट की है जिसमें वादग्रस्त आराजी को आवटिंत होने इसके पश्चात् गैर–खातेदारी के नामान्तरकरणों की पुश्त पर अंकित नक्शें के अनुसार आवन्टी का कब्जा रहने तथा वर्तमान में खातेदार सरजूदेवी का कब्जा काश्त होना अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.08.2014 में अंकित किया है। मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाना जाहिर है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिनसे यह जाहिर हो कि खातेदार सरजू देवी की स्वयं की कब्जेशुदा जो कि नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा ट्रेस आराजी है जिस पर तरमीम नही की जाकर अपीलान्ट्स की आराजी पर तरमीम की गई हो बल्कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी जाहिर है कि खातेदार सरजू देवी की कब्जाशुदा जो कि नामान्तरकरणों की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा की आराजी है, मौके पर खातेदार सरजू देवी के कब्जाशुदा आराजी नामान्तरकरणों की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा ट्रेस मौके अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये है और इस अनुसार नक्शा में तरमीम की गई है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिनसे अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक के इस कथन की कि वादग्रस्त आराजी के संबध में न्यायालय

उप खण्ड फागी में वाद लम्बित है और वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आज्ञा है, की पुष्टि होती हो अर्थात् उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद लम्बित होना एवं स्थगन आज्ञा होना जाहिर नही होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल मौका फर्द दिनांक 10.06.2016 से यह जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 473/3 व 473/4 के खातेदार को सीमाज्ञान हेतु जरीब चलाने से मौके पर भंवरसिंह व सत्यदेवसिंह ने जरीब चलाने से मना किया है और हस्ताक्षर करने से भी मना किया है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अभिभाषको द्वारा किये गये कथन कि अपीलाधीन आज्ञा की अपीलान्ट्स को जानकारी थी, अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, की पुष्टि होती है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट् जानकारी होने के बावजूद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने एवं अपील प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/6/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर